उत्तराखण्ड वन विकास निगम
(शिविर कार्यालय प्रबन्ध निदेशक)

अरण्य विकास भवन, 73 नेहरू,रोड,देहरादून–248001 दूरभाष–0135–2657610,फैक्स0135–2655488,

पत्रांक एफ–4732/ई.पी.एफ./पेंशन अंशदान कोड स0– 37004/स्थायी आदेश /दिनॉक 10-12-2014.

स्थायी आदेश

इस कार्यालय के स्थायी आदेश सं0 एफ0 4499/ई.पी.एफ./पेंशन अंशदान कोड स0–37004/स्थायी आदेश दिनांक 01.12.2014 में दिये गये निर्देशो में हो रही शंकाओं का निराकरण एवं *एक स्वस्थ लेखांकन प्रणाली* **(*Healthy & Perfect Accounting system*)** का पालन करते हुये पूर्व दिये गये प्रारूप को संलग्नानुसार संशोधित किया जाता है। शेष शर्ते व व्यवस्थाएं पूर्वत होंगी।

(डा0 एस0 चन्दोला)
प्रबन्ध निदेशक

<u>प्रतिलिपि</u> :– निम्न को उपरोक्त आदेशों का तत्कालिक प्रभाव से अनुपालन करवाने एवं करने हेतु प्रेषित :–

1. महाप्रबन्धक,उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी एवं देहरादून
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
3. समस्त प्रभागीय वन विकास/विपणन/खनन, उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
4. आन्तरिक सम्परीक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
5. लेखाधिकारी मुख्यालय,उत्तराखण्ड वन विकास निगम,देहरादून।

संलग्न – संशोधित प्रारूप

(डा0 एस0 चन्दोला)
प्रबन्ध निदेशक

नोट - कृपया फार्म सं 2 (नामांकन) फार्म 5 (सदस्यता ग्रहण ...
... हेतु पूर्ण सूचना सहित भेजे...

माह .... में नियोजित श्रमिकों को किये गये भुगतान के विरुद्ध देय कर्मचारी/ ई0पी0एफ0 श्रमिक अंशदान/नियोक्ता अंशदान का विवरण लिखने हेतु उदाहरण

क्र0सं0	श्रमिक का नाम	पिता/ पति का नाम	खाता सं0	मद जिसके लिए श्रमिक नियोजित किया गया	नार्म्स दर के आधार पर शुद्ध देय धनराशि (कालम सं0 8 का 88%)	ई0पी0एफ0 अंशदान (कालम सं0 8 का 12%)	माह में नार्म्स दर के आधार पर पारिश्रमिक व 12% ई0पी0एफ0 अंशदान सहित कुल पारिश्रमिक	नियोक्ता अंशदान 12%		कुल जमा योग्य धनराशि	अभियुक्ति
								पेंशन अंशदान 8.33% अधिकतम 1250	शेष 3.67 %		
1	2	3	4	5	6	7	8 (6+7)	9 ए	9 बी	10 (7+9ए+9बी)	11
	(A)				100	13.64	113.64				
	(B)				160	21.82	181.82				
	(C)				225	30.68	255.68				
	(D)				22	3.00	25				
	(E)				138	18.82	156.82				

नोट :– *1. कॉलम संख्या–7,9ए,9बी में आगणित कि जाने वाली धनराशि निकटतम रू0 में की जायें।*

2. कॉलम संख्या–7 एवं 9 **A-B** *जिसका भुगतान मुख्यालय स्तर से किया जाएगा, जिसकी एडवाइस मुख्यालय द्वारा सम्बन्धित प्रभागों को प्रेषित की जाएगी।*

3. एक स्वस्थ लेखांकन प्रणाली (*Healthy & Perfect Accounting System*) का अनुपालन करने हेतु *श्रमिकों को विभिन्न कार्यों हेतु किये जाने वाले भुगतान के अभिप्राय से बनाये जाने वाले व्यय प्रपत्र/मस्टरॉल में उक्त प्रारूप के कॉलम संख्या–8 में दर्शित धनराशि को सम्बन्धित मद में लेखाबद्ध की जाने वाली धनराशि मानते हुए नियमानुसार कॉलम संख्या–7 की धनराशि को ई0पी0एफ0 कटौती के रूप में दर्शाया जाय। इस प्रकार कॉलम सं0 6 में श्रमिक को उसके द्वारा वर्तमान नार्म्स दर पर किये गये कार्य का शत प्रतिशत पारिश्रमिक का भुगतान हो जाएगा।*

4. *उक्त तालिका में दिये गये उदाहरण का आधार यह है कि कॉलम सं0 6 में दर्शित धनराशि वर्तमान नार्म्स दर के आधार पर आगणित धनराशि को कुल लेखाबद्ध की जाने वाली धनराशि का 88% (100–12) मानते हुये शुद्ध देय धनराशि होगी। जबकि कॉलम सं0 7 में ई0पी0एफ0 की गणना निम्न सूत्र (formula) से की जायेगी –*

Formula – ***Column 6*** **=** श्रमिक को देय पारिश्रमिक वर्तमान नार्म्स दर के आधार पर ।

Column 7 **=** (Col 8)-(Col 6)

Column 8 **=** (Col 6)x(100/88)

चूँकि कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के अनुसार अंशदान के विलम्ब से भुगतान करने पर निम्न प्रकार दण्ड की व्यवस्था है। अतः उपरोक्त प्रारूप में विवरण प्रत्येक माह के 05 तारीख तक इस कार्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य है ताकि निर्धारित तिथि 15 तारीख से पूर्व समस्त अंशदाताओं की सूचना ई0पी0एफ0ओ0 को इंटरनेट के माध्यम से प्रेषित करते हुये ई0सी0आर0 प्राप्त कर चालान से धनराशि जमा की जा सके।

चूक/विलम्ब की अवधि	क्षति की दर(बकाया का प्रतिशत) प्रति वर्ष
1. दो माह से कम	05
2. दो माह से अधिक,परन्तु चार से कम	10
3. चार माह से अधिक परन्तु छः माह से कम	15
4. छः माह एवं अधिक	25

(डा0 एम0 चन्दोला)
प्रबन्ध निदेशक